

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936

No. 253]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

सा.का.नि. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 20ख के उपनियम (4) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ होने वाली और 31 मई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दो हजार दो सौ सतहत्तर रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से होगा।

[फा. सं. 20(90)/2013-एसपी-I] टी. जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

G.S.R. 326(E).—In pursuance of sub-rule (4) of rule 20B of the Sugar Development Fund Rules, 1983 the Central Government hereby declares that the incentive towards marketing and promotion services for raw sugar production for the period beginning from 1st April, 2014 and ending on 31st May, 2014 shall be at the rate of rupees two thousand two hundred serventy seven per metric tonne.

[F. No. 20(90)/2013-SP-I]

T. JACOB, Jt. Secy.